न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./58/2022/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. श्रवणकुमार पुत्र गिरधारीलाल 2. युगलकिशोर पुत्र गिरधारीलाल जाति माहेश्वरी निवासी गुड़ामालानी हाल निवासी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर	श्रीमान तहसीलदार, गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 65/2018 बअनवान श्रवणकुमार बनाम तहसीलदार गुड़ामालानी में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2021 एवं डिक्री दिनांक 21.03.2022 के विरूद्ध।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री संजय सोनी अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेंटस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 09.11.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्ता/वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया कि वादीगण का मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी में खेत खसरा संख्या 1656/1578 रकबा 28 बीघा का आया हुआ है। वादीगण के पिता मुतवफी गिरधारीलाल को दिनांक 09.06.1976 को बमुकाम गुड़ामालानी में सीलिंग भूमि आवंटन परामर्शदात्री कमेटी द्वारा मौजा गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर 1578/2 में रकबा 28 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उपरोक्त आवंटन की पालना में नामान्तकरण संख्या 662 दिनांक 16.09.1977 को वादीगण के पिता गिरधारीलाल के नाम से खसरा नम्बर 1578/2/1 रकबा 28 बीघा गैर खातेदारी का पारित किया गया। इसलिए वादीगण को यह वाद खातेदारी की घोषणा का पेश करना लाजमी हुआ। हस्तगत प्रकरण को दर्ज कर सुनवाई हेतु नियत की गई। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग गुड़ामालानी में रखने की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। उक्त प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व वादीगण/अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला। अपीलांटस/वादीगण ने अपना खातेदारी की घोषणा हेतु प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया गया था जो कि राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रमाणित है किसी भी खातेदारी भूमि में घोषणा राजस्व न्यायालय ही कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत के उद्देश्य को दरकिनार करते हुए मनमर्जी व विधि विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया गया जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटस/वादीगण की साक्ष्य के स्टेज पर विचाराधीन था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद की पत्रावली को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प गुड़ामालानी में रखी गई, जिस बाबत अपीलांटस/वादीगण को किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। प्रकरण में वाद की प्रक्रिया को अपनाये बिना यथा तनकीयात कायम कर साक्ष्य रेकर्ड पर लेकर व मौके की मौका रिपोर्ट तलब करने के बाद ही वाद को गुणावगुण पर निस्तारित करना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से अपीलांट का वाद आवंटित भूमि काबिल काश्त नहीं होने से वादीगण को खातेदारी अधिकार दिया जाना अनुचित होने से दिनांक 17.12.2021 को केम्प कोर्ट में खारिज कर दिया। अपीलांट एवं अपीलांट अधिवक्ता की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो काबिल निरस्त है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस द्वारा जिस भूमि को लेकर वाद पेश किया गया वो मौके पर काबिल काश्त भूमि नहीं है। अपीलांटस द्वारा आवंटित भूमि पर कभी कोई काश्त नहीं की गई तथा न ही आवंटित भूमि पर अपीलांटस का कब्जा काश्त है। अपीलाधीन आराजी नदी के स्थान पर आने से कृषि योग्य नहीं रही है लेकिन उपरोक्त बिंदुओं का निर्धारण साक्ष्य से ही तय होना जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं ली गई। यदि हस्तगत प्रकरण को न्यायालय द्वारा रिमाण्ड किया जाता है तो कोई आपति नहीं है।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कि अपीलांट को उसका वाद लोक अदालत केम्प कोर्ट खारिज करने की पूर्व में जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.03.2022 को उपस्थित होकर उक्त प्रकरण की जानकारी चाही तो अपीलकर्ता के अधिवक्ता को बताया गया कि उक्त प्रकरण में दिनांक 17.12.2021 को निर्णय पारित किया गया तब अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली एवं निर्णय का अवलोकन किया गया तो उसमें उक्त निर्णय की डिक्री पर्चा नहीं था तब अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने पुनः उक्त प्रकरण में डिक्री पर्चा जारी करने का निवेदन किया गया जिस पर पत्रावली में दिनांक 21.03.2022 को डिक्री पर्चा जारी किया गयाा ऐसी स्थति में वास्ततिक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित किया गया इसलिए अपीलांटस को प्रथम दृष्टया अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो पाई इसलिए अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है तो कोई आपति नहीं है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वकील अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में की गई देरी सद्भाविक है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। जिससे अपीलांट को निर्णय की जानकारी समय पर न हो सकी। अतः वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित समझते है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट मुख्यालय गुड़ामालानी में सुनवाई हेतु रखी। इस बाबत अलग से न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया। अपीलांटस की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। वादीगण/अपीलांट को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। वाद में तनकीयात तो कायम की गई है लेकिन उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य नहीं ली गई, तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण/वादी की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित ठहरता है।

लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 65/2018 बअनवान श्रवणकुमार बनाम तहसीलदार गुड़ामालानी में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2021 एवं डिक्री दिनांक 21.03.2022 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण के द्वारा प्रस्तुत वाद में उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.01.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 09.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर